



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

, प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]
No. 342]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ़ 19, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 549(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 मार्च, 2009 अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“5क. धारा 51”;

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“7क. धारा 63, 64 और धारा 65”।

[फा. सं. 1/7/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) तारीख 31 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 891(E), dated the 31st March, 2009, namely:—

2. In the said notification,—

- (a) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
“5A. Section 51”;
- (b) after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
“7A. Section 63, 64 and Section 65”.

[F.No. 1/7/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 891 (E), dated the 31st March, 2009.